

'अनुसूचित जनजातियों के लिए उद्यम पूंजी निधि (वेंचर कैपिटल फंड)

(वीसीएफ-एसटी)

परिचालन दिशा-निर्देश

विषयवस्तु

खण्ड I

पृष्ठभूमि..... 2

कोष की संरचना 3

खण्ड II

अनुसूचित जनजातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड की विशेषताएं..... 4

खण्ड III

योजना के दिशानिर्देश.....6

एनएसटीएफडीसी की भूमिका..... 15

खण्ड - I

पृष्ठभूमि:

ये दिशा-निर्देश 13.01.2017 को माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष 'सकारात्मक कार्रवाई' के तहत शिक्षा और सामाजिक विकास पर सचिवों के समूह (जीओएस) की प्रस्तुति और ईएफसी बैठक में बाद के फैसले की सिफारिशों के अनुसार जारी किए गए हैं और बाद में 12.05.2021 को आयोजित ईएफसी बैठक में अनुसूचित जनजातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ-एसटी) की योजना की शुरुआत के लिए निर्णय लिया गया।

वीसीएफ-एसटी के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे:-

- अनुसूचित जनजातियों को रियायती वित्त के प्रावधान के माध्यम से उद्यमशीलता को बढ़ावा देना
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और अन्य विभागों/मंत्रालयों/संस्थानों द्वारा स्थापित प्रौद्योगिकी व्यवसाय इन्क्यूबेटर्स (टीबीआई) के माध्यम से नवीन विचारों का समर्थन करना।
- इक्विटी और/या ऋण (क्रेडिट) सहायता प्रदान करके स्टार्ट-अप विचारों को समर्थन देना, बढ़ावा देना, उन्हें तब तक संभाल कर रखना जब तक कि वे व्यावसायिक स्तर पर नहीं पहुंच जाते।
- अजजा उद्यमियों के बीच वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और अजजा समुदायों को आगे विकास के लिए उन्हें प्रेरित करना।

योजना को क्रियान्वित करने के लिए, प्रस्तावित "अनुसूचित जनजातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ-एसटी) एक अलग "ट्रस्ट" के तहत तैयार किया जा सकता है।

निधि की संरचना

- **कोष / निधि का नाम:** प्रस्तावित "अनुसूचित जनजातियों के लिए उद्यम पूंजी निधि (वेंचर कैपिटल फंड)"
- **कोष की संरचना:** "इंडियन ट्रस्ट एक्ट, 1882" के तहत एक ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत श्रेणी II वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) के रूप में प्रस्तावित।
- **आरंभिक क्लोजिंग:** सेबी की आवश्यकताओं के अनुसार 20 करोड़ रुपये के न्यूनतम कॉर्पस प्राप्त होने के बाद हासिल किया जाएगा;
- **फाइनल क्लोजिंग:** शुरुआती क्लोजिंग की तारीख से 4 वर्ष;
- **निवेश अवधि:** आरंभिक समापन की तारीख से 5 वर्ष;
- **कोष की अवधि:** अंतिम समापन की तारीख से 14 वर्ष जिसे जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन पर अतिरिक्त 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है;
- **ट्रस्ट की अवधि:** ट्रस्ट के तहत योजनाओं के बंद होने के 2 वर्ष बाद।

खण्ड - II

अनुसूचित जनजातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड की विशेषताएं

[भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के अनुमोदन के अधीन]

क्र.सं.	विवरण	विवरण
1.	नोडल मंत्रालय का नाम	जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
2.	कोर्पस (कोष)	जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा एंकर निवेशक के रूप में 50.00 करोड़ रुपये के प्रारंभिक कोष (कार्पस) का योगदान दिया जा सकता है, जिसे बाद में पूरक किया जा सकता है;
3.	योजना की प्रकृति	केंद्रीय क्षेत्र योजना
4.	योजना की संरचना	यह योजना सेबी एआईएफ विनियम, 2012 के तहत पंजीकृत निधि के रूप में जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के एंकर निवेशक और आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड के प्रायोजक निवेशक के रूप में स्थापित की जाएगी।
5.	प्रायोजकों का योगदान	एआईएफ विनियमों की शर्तों के अनुसार कुल कॉर्पस का 2.5% या आईएनआर 5 करोड़, जो भी कम हो, प्रायोजक का योगदान
6.	एसेट मैनेजमेंट कंपनी (एएमसी) का नाम	आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड
7.	कोष की अवधि	जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन पर 2 अतिरिक्त वर्षों के विस्तार के साथ अंतिम समापन की तारीख से 14 वर्ष।
8.	ट्रस्ट की अवधि	ट्रस्ट के तहत योजना (ओं) के बंद होने के 2 साल बाद।
9.	फंड के तहत क्लोजिंग	सेबी की आवश्यकताओं के अनुसार 20 करोड़ रुपये के न्यूनतम कॉर्पस प्राप्त होने के बाद फंड के तहत प्रारंभिक क्लोजिंग हासिल की जाएगी; फाइनल क्लोजिंग शुरुआती क्लोजिंग से 4 वर्ष तक होगी।

10.	ड्राडाउन अवधि	प्रारंभिक समापन की तारीख से 5 वर्ष तक फंड के कोष के लिए पूंजी योगदान तैयार किया जा सकता है।
11.	निवेश अवधि	प्रारंभिक समापन की तारीख से 5 वर्ष।
12.	योजना में शामिल व्यय	फंड का खर्च: वीसीएफ-एसटी कॉर्पस का 1.5% (एक बार), फंड के जीवनकाल में खर्च किया जाना है। एएमसी को प्रबंधन शुल्क: प्रबंधन शुल्क प्रतिबद्धता अवधि (ड्राडाउन अवधि तक) के दौरान कुल पूंजी प्रतिबद्धता का 1.5% प्रति वर्ष की दर से और उसके बाद प्रबंधन शुल्क बकाया पूंजी योगदान का 1.5% प्रति वर्ष की दर से होगा।
13.	निधि निवेशकों को प्रतिफल	• भारत सरकार के अलावा अन्य निवेशकों से योगदान प्राप्त करने के लिए, यदि कोई हो, फंड में दो प्रकार की निवेश योग्य इकाइयां जारी की जाएंगी अर्थात् श्रेणी ए इकाइयां और श्रेणी बी इकाइयां। • 50 करोड़ रुपये के प्रारंभिक योगदान के साथ भारत सरकार को भी श्रेणी इकाइयां आवंटित की जाएंगी। • अन्य निवेशक (जैसे एलआईसी, जीआईसी, अन्य बीमा कंपनियां और राष्ट्रीयकृत बैंक आदि), यदि वे योगदान करते हैं, तो उन्हें श्रेणी ए इकाइयां आवंटित की जाएंगी। • पूंजी का प्रतिफल वर्ग ए और बी इकाई धारकों को आनुपातिक-प्रति-अनुपात आधार पर किया जाएगा।
14.	बदलाव	भारत सरकार/विभाग के किसी भी सुझाव पर, सेबी की आवश्यकताओं, कानूनी और कर संबंधी मुद्दों आदि पर उपरोक्त शर्तें/नियम/संरचना भिन्न हो सकती हैं, समय-समय पर रूपांतरित/संशोधित हो सकती हैं।

खण्ड - III

योजना दिशा-निर्देश

क्र.सं.	संकेतक	वीसीएफ-एससी के अनुरूप सांकेतिक दिशानिर्देश
1	(i) पात्रता मापदंड	- विनिर्माण, सेवाओं और संबद्ध क्षेत्र में स्थापित की जा रही परियोजनाओं/इकाइयों, जिसमें स्टार्ट-अप और प्रौद्योगिकी व्यवसाय इन्क्यूबेटरों में इनक्यूबेट की जा रही इकाइयां शामिल हैं, इकाई में परिनियोजित धन से परिसंपत्ति निर्माण सुनिश्चित करने पर विचार किया जाएगा। - कोष के तहत सहायता प्राप्त लाभार्थियों में से कम से कम 30% महिला उद्यमी होने चाहिए।
	(ii) वीसीएफ-एससी के लिए न्यूनतम अस्तित्व और शेयरहोल्डिंग मानदंड	फंड के तहत निवेश को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा: क. 50 लाख रुपये तक की सहायता के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों के लिए: कंपनियां जिनके पास: - प्रबंधन नियंत्रण के साथ पिछले 6 महीनों के लिए अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों द्वारा कम से कम 51% शेयरधारिता या; - एक नई कंपनी बशर्ते कि नई कंपनी एक प्रोपराइटरी फर्म या पार्टनरशिप फर्म या वन पर्सन कंपनी (ओपीसी) या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) की उत्तराधिकारी इकाई हो या किसी अन्य प्रतिष्ठान जो किसी भी कानून के तहत मजबूत व्यवसाय मॉडल के साथ शामिल हो, जो 6 महीने से अधिक समय से परिचालन में है, और पूर्ववर्ती संस्था के पास प्रबंधन नियंत्रण के साथ अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों की कम से कम 51% हिस्सेदारी थी। ख. 50 लाख रुपये से ऊपर की सहायता के लिए आवेदन करने

	वाली कंपनियों के लिए: कंपनियां जिनके पास: • प्रबंधन नियंत्रण के साथ पिछले 12 महीनों के लिए अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों द्वारा कम से कम 51% शेयरधारिता या; • एक नई कंपनी बशर्ते कि नई कंपनी एक प्रोपराइटरी फर्म या पार्टनरशिप फर्म या वन पर्सन कंपनी (ओपीसी) या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) या किसी अन्य प्रतिष्ठान की उत्तराधिकारी इकाई हो, जो किसी भी कानून के तहत मजबूत व्यवसाय मॉडल के साथ शामिल हो, जो 12 महीने से अधिक समय से परिचालन में है, और पूर्ववर्ती इकाई के पास प्रबंधन नियंत्रण के साथ अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों की कम से कम 51% हिस्सेदारी थी।
(iii) प्रौद्योगिकी उन्मुख अभिनव परियोजनाओं के लिए पात्रता मानदंड	नवाचार परियोजना को पूरा करने की लागत को कवर करने के लिए इन्क्यूबेशन वित्तपोषण के लिए टेक्नोलॉजी बिजनेस इन्क्यूबेटर्स (टीबीआई) द्वारा चुने गए अभिनव विचार जिनकी अधिकतम सीमा के अधीन प्रति वर्ष औसतन 10 लाख रुपये हैं संतोषजनक प्रगति के अधीन कुल 30 लाख रुपये तीन साल की अवधि के लिए या पहली बार अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों द्वारा कम से कम 51% शेयरधारिता वाली नई कंपनियाँ जो प्रौद्योगिकी उन्मुख नवीन परियोजनाओं में काम कर रही हैं: - विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के तहत आईआईटी, एनआईटी, प्रीमियर बिजनेस स्कूलों, विश्वविद्यालयों, संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों, एनएसटीईडीबी में इनक्यूबेशन केंद्रों के समर्थन से या कॉरपोरेट्स द्वारा समर्थित, व्यावसायीकरण की अच्छी क्षमता के साथ और परियोजना कार्यान्वयन चरण में है; और / या; - इनक्यूबेशन केंद्रों की सहायता के बिना लेकिन

		व्यावसायीकरण की अच्छी क्षमता वाले पेटेंट/कॉपीराइट हैं और परियोजना कार्यान्वयन चरण में है। iii. उचित मूल्यांकन के बाद भारत सरकार के विभागों/मंत्रालयों द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं।
2.	प्राथमिक दस्तावेज	- उद्यमी को अजजा होने का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय प्रस्तुत करना होगा। - प्रस्ताव प्रस्तुत करने के समय इन्क्यूबेशन केंद्रों/निगमों से दस्तावेजी प्रमाण/प्रमाणपत्र या अजजा उद्यमी के नाम पर पेटेंट/कॉपीराइट के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। - भारत सरकार के विभाग/मंत्रालय का स्वीकृति पत्र, यदि लागू हो। - पात्रता शर्तों के संदर्भ में अन्य दस्तावेज भी जमा करने की आवश्यकता होगी, जिसमें प्रबंधन नियंत्रण और न्यूनतम 51% अजजा(एसटी) शेयरधारिता का प्रमाण शामिल है। - ई-दस्तावेज भी स्वीकार किए जाएंगे। - दस्तावेजों की एक अनंतिम सूची अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।
3.	निवेश आकार	<u>50 लाख रुपये तक और 50 लाख रुपये से अधिक की सहायता के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों के लिए पात्रता मानदंड के रूप में वीसीएफ-एसटी हेतु:</u> कुल सहायता कंपनी के वर्तमान निवल मूल्य के दोगुने से अधिक नहीं है, जो न्यूनतम 10.00 लाख रुपये और अधिकतम 5.00 करोड़ रुपये के अध्याधीन है।
		<u>प्रौद्योगिकी उन्मुख अभिनव परियोजनाओं के लिए पात्रता मानदंड के रूप में वीसीएफ-एसटी के लिए</u> अधिकतम 10 लाख रुपये प्रति वर्ष, तीन साल की अवधि के लिए कुल मिलाकर 30 लाख रुपये संतोषजनक प्रगति/समीक्षा के अध्याधीन। इस कोष का अधिकतम 10.00 करोड़ रुपये तक का

		एक हिस्सा, इस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाना है।
4	वित्तीय सहायता की अवधि	- डिबेंचर और ऋण के मामले में अधिस्थगन अवधि सहित 10 वर्ष तक। - इक्विटी/अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयर (सीसीपीएस)/वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयर (ओसीपीएस) के मामले में, बाहर निकलने का निर्णय मामला-दर-मामला आधार पर अधिकतम 10 वर्ष तक के कार्यकाल के साथ लिया जाएगा।
5	मूलधन (प्रिंसिपल) पर ऋण स्थगन	पहले संवितरण की तारीख से अधिकतम 36 महीने, मामला-दर-मामला आधार पर तय किया जाएगा।
6	वित्तीय सहायता का स्वरूप	- अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (सीसीडी), वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी), गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी), आदि। - सीसीपीएस/ओसीपीएस सहित शेयरों (कोष (कॉरपस) का अधिकतम 25% तक) को निम्नलिखित के अध्याधीन निवेश किया जा सकता है: <u>वीसीएफ-एसटी के तहत:-</u> - ऐसा निवेश पात्रता मानदंड के तहत उल्लिखित शर्तों को पूरा करने वाली नवीन प्रौद्योगिकी-उन्मुख परियोजनाओं/स्टार्ट-अप तक सीमित हो सकता है; - किसी कंपनी में अधिकतम इक्विटी निवेश 49% किया जा सकता है, जो अधिकतम 5 करोड़ रुपये के निवेश के अधीन होगा; - ऐसा निवेश लागू कानूनों के अध्याधीन, प्रत्येक कंपनी में शेयरों के अंकित मूल्य पर होगा; <u>अन्य योजना के अन्तर्गत</u>

		वित्तीय सहायता इक्विटी/सीसीपीएस/ओसीपीएस/ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी।
7	वीसीएफ-एसटी के लिए वित्त पोषण पैटर्न	निधि के तहत निवेश को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा: - आवेदक को परियोजना लागत का अधिकतम 75% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और परियोजना लागत का शेष 25% प्रमोटरों द्वारा या केंद्र या राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत सरकारी सब्सिडी के माध्यम से या बैंक ऋण सहित, निधियों के जुटाने के किसी अन्य अनुमेय साधन के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा, जो ट्रस्ट और संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा लगाई गई शर्तों के अध्याधीन होगा; - ऐसे मामलों में जहां वित्त पोषण का कोई अन्य स्रोत ढूंढा जा रहा है/उपलब्ध है, प्रमोटरों को परियोजना लागत का कम से कम 15% योगदान देना होगा। <i>** 5 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृत सहायता वाली कंपनियों के लिए, ट्रस्ट/फंड मैनेजर द्वारा जारी की गई धनराशि बैंक/भारत सरकार के विभाग द्वारा जारी ऋण किस्त के अनुपात में होगी, प्रौद्योगिकी व्यवसाय इन्क्यूबेटर्स (टीबीआई) द्वारा चयनित, इनोवेटिव आइडिया की श्रेणी के तहत सहायता प्रदान किए जाने वाले मामलों को छोड़कर जैसा कि ऊपर बिंदु 'क' में उल्लेख किया गया है। किसी भी मामले में वीसीएफ-एसटी से सहायता 5.00 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी और टीबीआई के मामले में 30 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी (3 साल की अवधि के लिए सालाना 10 लाख रुपये से अधिक नहीं)।</i>
8	निवेश के माध्यम से अपेक्षित प्रतिफल	क. इक्विटी निवेश में, पुनर्खरीद(बायबैक)/रणनीतिक निवेश/आईपीओ के माध्यम से बाहर निकलने के समय प्रतिफल 4% प्रति वर्ष या मूल्यांकन के अनुसार, जो भी अधिक हो, होगा। ख. ऋण/परिवर्तनीय (दस्तावेज) - 4% प्रति वर्ष (महिला*/दिव्यांग** उद्यमियों के लिए - 3.75% प्रति वर्ष)

		[* अ.ज.जा. (एसटी) महिला उद्यमी के स्वामित्व वाली कंपनी के संबंध में विचार करने के लिए, एसटी महिला उद्यमी की कंपनी में कम से कम 51% हिस्सेदारी होनी चाहिए और वह कंपनी की प्रबंध निदेशक होनी चाहिए; <i>** दिव्यांग उद्यमियों के मामले में, दिव्यांग कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांग के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा।]</i>
9	पुनर्गठन / पुनर्निर्धारण	निवेश समिति द्वारा मामला-दर-मामला के आधार पर शामिल व्यवहार्यता और मुद्दों के आधार पर मामलों (तनावग्रस्त मामलों सहित) में पुनर्गठन/पुनर्निर्धारण की अनुमति दी जा सकती है। 'फंड मैनेजर' अपनी वेबसाइट पर एक परिपत्रलोड करेगा, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के प्रस्तावों के संबंध में पुनर्गठन/पुनर्संरचना/पुनर्निर्धारण में शामिल सभी मुद्दों को स्पष्ट किया जाएगा, साथ ही उन परिस्थितियों को भी स्पष्ट किया जाएगा जिसमें पुनर्संरचना/पुनर्निर्धारण लागू होगा।
10	निकास तंत्र	- संचालन से बाहर भुगतान, प्रवर्तकों/कंपनियों द्वारा पुनर्खरीद/रिडेम्पशन(मोचन), रणनीतिक निवेश, स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्टिंग या किसी अन्य निकास प्रक्रिया के माध्यम से बाहर निकलना (छोड़ना) - वित्तीय सहायता की प्रकृति और कंपनी के प्रदर्शन के आधार पर मामला-दर-मामला के आधार पर बाहर (छोड़ने) निकलने की प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी।
11	प्रतिभूति संबंधी अपेक्षाएं (शर्तें)	निवेश के दौरान निम्नलिखित प्रतिभूतियों की परिकल्पना की जा सकती है: क. योजना के तहत वित्तपोषित/सहायता प्राप्त करने वाली परियोजना की संपत्तियों को प्रतिभूति के लिए प्रभारित किया जाएगा। परियोजना की संपत्ति में भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी और लाइसेंस/पेटेंट पर अधिकार शामिल होंगे। ख. बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के पास ऋण के लिए आवेदन करने वाली

		कंपनियों के मामले में मामला-दर-मामला आधार पर बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के पास संपत्ति पर समरूप प्रभार। ग. प्रवर्तकों (प्रमोटरों) द्वारा रखे गए शेयरों का गिरवी रखना और कम से कम 26% हिस्सेदारी (हितधारिता) बनाना और जारी एवं चुकता (पेड-अप) पूंजी का 51% तक लिया जाएगा। हालांकि, गिरवी रखे गए शेयरों का प्रतिशत मामला-दर-मामला आधार पर तय किया जाएगा। घ. परिसंपत्तियों पर प्रभार के अलावा, पोस्ट-डेटेड चेक (पीडीसी)/इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ईसीएस) और वचन-पत्र (प्रॉमिसरी नोट्स) लिए जाएंगे। ङ. पुनर्खरीद (बायबैक) समझौते के साथ प्रवर्तकों (प्रमोटरों) की व्यक्तिगत गारंटी दर्ज की जाएगी। च. यदि परियोजना भूमि के रूप में कोई रहन उपलब्ध नहीं है, तो उधारकर्ता संपार्श्विक प्रतिभूतियों की व्यवस्था कर सकता है। छ. परिकल्पित प्रतिभूतियां किसी भी राज्य/केंद्रीय/स्थानीय कानूनों आदि का उल्लंघन नहीं कर सकती हैं। किसी अन्य योजना के तहत निवेश के लिए, कंपनी में एसटी प्रमोटर(रों) द्वारा धारित शेयरों को गिरवी रखा जाएगा।
12	निधियों का उपयोग	स्वीकृत/प्रतिबद्ध निधियों और व्ययों को निधियों के उपयोग के रूप में माना जाएगा।
13	स्वीकृति की प्रक्रिया	योजना के तहत कोई भी प्रस्ताव दो समितियों और चार चरणों से होकर गुजरेगा: क. अनुवीक्षण समिति (स्क्रीनिंग कमेटी) (प्रारंभिक चरण): प्रारंभिक विश्लेषण के लिए प्रस्तावों को अनुवीक्षण समिति (स्क्रीनिंग कमेटी) के समक्ष रखा जाएगा ताकि यह देखा जा सके कि प्रस्ताव पात्रता मानदंड और प्रारंभिक मूल्यांकन मापदंडों को पूरा कर रहे हैं या नहीं। अनुवीक्षण समिति (स्क्रीनिंग कमेटी) द्वारा मंजूरी के बाद प्रस्ताव को विस्तृत मूल्यांकन, बातचीत और

		संरचना के लिए लिया जाएगा। ख. निवेश समिति (अंतिम चरण) (i) पात्र प्रस्तावों के मामले में एएमसी द्वारा तैयार किए गए विस्तृत प्रस्ताव पर स्वीकृति के लिए निवेश समिति द्वारा विचार किया जाएगा। (ii) एएमसी के संदर्भ के लिए वित्तपोषक बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा मूल्यांकन किए गए प्रस्तावों को भी उनके द्वारा मूल्यांकन के साथ प्रस्तुत किए जा सकते हैं। (iii) वीसीएफ-एसटी से सहायता की मात्रा इस समिति द्वारा तय की जाएगी, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि परियोजना के लिए प्रमोटर के अंश योगदान सहित, अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकताओं को विभिन्न स्रोतों के माध्यम से जोड़ा जाएगा। ग. कानूनी दस्तावेजीकरण (प्रलेखन) चरण: निवेश समिति द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद, स्वीकृति के नियमों और शर्तों के साथ निवेश करने वाली आमंत्रित कंपनी को आशय (उद्देश्य) पत्र (एलओआई) जारी किया जाएगा। एएमसी द्वारा आवश्यक कानूनी दस्तावेज तैयार और निष्पादित किए जाएंगे। घ. संवितरण चरण: उपरोक्त प्रक्रिया के पूरा होने के बाद, संवितरण मंजूरी के नियमों और शर्तों के अनुसार किया जाएगा। यदि लाभार्थी चाहे तो निवेशक कंपनियों को संवितरण एक लॉट में किया जाएगा। इसके अलावा, निधि सीधे लाभार्थी के खाते में निर्मुक्त (जमा) की जाएगी।
14.	अनुवीक्षण समिति/निवेश समिति का गठन	1. दोनों समितियों में एनएसटीएफडीसी/ आईएफसीआई/ आईएफसीआई वेंचर द्वारा नामित प्रतिनिधि होंगे और बाहर से पर्याप्त अनुभव रखने वाला एक विशेषज्ञ शामिल होगा। 2. अनुवीक्षण समिति में नामित कोई भी प्रतिनिधि निवेश समिति का प्रतिनिधि नहीं होगा।

		3. प्राप्त प्रस्तावों का विश्लेषण करने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी मासिक/नियमित आधार पर बैठक का आयोजन करेगी। 4. प्रत्येक समिति के अंतर्गत कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जनजाति वर्ग का होगा।
15.	परियोजना को पूरा करने की समय सीमा	क. परियोजना के पूरा होने का समय परियोजना के स्वीकृत चरण में ली गई परिकल्पना के अनुसार योजना के तहत सहायता की पहली किस्त के संवितरण की तारीख से यथाउल्लेखित अधिकतम 36 महीने की अवधि के लिए माना जाएगा, जिसे 3 महीने की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते यदि देरी के कारणों को निवेश समिति द्वारा न्यायोचित माना जाता है। ख. कार्यान्वयन अनुसूची का अनुपालन न करने की स्थिति में, स्वीकृत राशि का आगे का संवितरण निवेश समिति द्वारा अनुमोदन के अध्याधीन होगा।
16.	निगरानी	आईएफसीआई ट्रस्ट द्वारा आवधिक दौरें, उद्यमों का निरीक्षण किया जाएगा। योजना में प्रगति के बारे में जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) को तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

एनएसटीएफडीसी की भूमिका

- क. पात्र अनुसूचित जनजाति उद्यमों के साथ (से) आवेदन पत्र प्राप्त करना।
- ख. मौजूदा और नए चैनलों के माध्यम से सार्वजनिक आउटरीच।
- ग. एनएसटीएफडीसी के एक नामित व्यक्ति को स्क्रीनिंग और निवेश समिति का सदस्य होना चाहिए
